न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी–श्री विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 60/2018 दायर तारीख 28.06.2018

अनवान्

1. कौशल्या पत्नि बालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

1. प्रेमदेवी पत्नि मोतीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

........प्रतिवादी

उपस्थित :– श्री दिनेश तम्बोली अधिवक्ता वादी

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26/06/2019

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खाते की भूमि मौजा ग्राम दाता उर्फ छोटा थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 141/1 रकबा 3–15 बीघा, आराजी संख्या 1941/140 रकबा 0–17 बीघा कुल किता 2 रकबा 4–12 बीघा भूमि वादिया के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं।

उक्त भूमि से प्रतिवादी का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। फिर भी प्रतिवादी ने आराजी संख्या 141/1 रकबा 3–15 बीघा, आराजी संख्या 1941/140 रकबा 0–17 बीघा कुल किता 2 रकबा 4–12 बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा हैं वादी द्वारा कब्जा हटाने के लिए कहा तो विपक्षी लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हुयें। जिससे वादीया को वाद हेतु कारण दिनांक 10.03.2019 को उत्पन्न हो सतत रूप से जारी हैं। प्रतिवादी को बेदखल कर वादी कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादपत्र वादी डिक्री फरमाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रतिवादिया वावजूद इतिल्ला गैर हाजिर रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

प्रकरण एक पक्षीय होने से तनकीयात कायम नही की गयी।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 मौजा दाता उर्फ छोटा थड़ौदा प्रस्तुत की हैं। अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी।

साक्ष्यवादी में में पीडब्ल्यू–1 कौशल्या धाकड़ को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये हैं।

साक्ष्यवादी में में पीडब्ल्यू–2 बालू धाकड़ को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये हैं। इसके अलावा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

पीडब्ल्यू–1 कौशल्या धाकड़ निवासी थड़ौदा ने अपने बयान में लिखवाया कि उनकी खातेदारी जमीन मौजा दाता उर्फ छोटा थड़ौदा में रकबा 4–12 बीघा भूमि स्थित होकर उक्त भूमि मेरे खाते में दर्ज है उक्त भूमि को मैंने किसी भी व्यक्ति को रहन बेचान नहीं किया। 1 वर्ष पूर्व मेरी खातेदारी भूमि पर प्रेम देवी पत्नि मोतीलाल धाकड़ निवासी थड़ौदा ने जबरन कब्जा कर लिया एवं मुझे मेरी खातेदारी से बेदखल कर दिया। रकबा 4–12 बीघा भूमि से प्रेमदेवी धाकड़ का कब्जा हटाया जाकर उक्त भूमि का कब्जा मुझे सुपुर्द किया जावे मैंने मेरे खाते कि जमीन कि नकल संवत् 2073 से 2076 कि पेश कि जो प्रदर्श 1 हैं। मेरे खाते कि जमीन मुझे सुपुर्द किया जावे।

पीडब्ल्यू–2 बालू धाकड़ निवासी थड़ौदा ने अपने बयान में लिखवाया कि मौजा दाता उर्फ छोटा थड़ौदा में मेरी पत्नी कौशल्या के नाम पर रकबा 4–12 बीघा भूमि खाते में दर्ज है। 1 वर्ष पूर्व मेरी पत्नी की खातेदारी भूमि सम्पूर्ण पर प्रेमदेवी धाकड़ ने जबरन कब्जा कर लिया एवं मेरी पत्नी कौशल्या को उक्त भूमि से जबरन बेदखल कर दिया उक्त 4–12 बीघा भूमि पर प्रेमदेवीका किसी भी प्रकार का हक अधिकार नहीं है। उक्त भूमि से प्रेमदेवी का कब्जा हटाया जाकर मेरी पत्नी कौशल्या को कब्जा सुपुर्द किया जावें।

बहस विद्वान अधिवक्ता की सुनी गयी।

अधिवक्तावादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया हैं वाद की सत्यता बाबत् वादी ने स्वयं वादी के बयान कराये हैं। नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं। विपक्षी द्वारा कब्जा करने की ताईद में वादिया का शपथपत्र मे सलग्न है।

वादपत्र डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करना फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दी ग्राम दाता उर्फ छोटा थड़ौदा संवत् 2073 से 2076 पर आराजी नम्बर 141/1 रकबा 3–15 बीघा, आराजी नम्बर 1941/140 रकबा 0–17 बीघा किस्म माल द्वितीय खातेदार कौशल्या पत्नि बालू धाकड़ के नाम पर दर्ज रेकार्ड हैं। वादी ने अपने वादपत्र में इन्ही आराजीयात पर प्रतिवादी का कब्जा होना अंकित किया है। विपक्षीगण का प्रार्थी की भूमि पर कब्जा काश्त हैं। विपक्षी को यदि किसी प्रकार की आपत्ति होती तो न्यायालय में उपस्थित होकर चाराजोही करता। प्रकरण एक पक्षीय हैं। वादी के वादपत्र एवं प्रस्तुत गवाह के साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीयां डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा दाता उर्फ छोटा थड़ौदा आराजी संख्या 141/1 रकबा 3–15 बीघा, आराजी संख्या 1941/140 रकबा 0–17 बीघा कुल किता 2 रकबा 4–12 बीघा भूमि किस्म माल द्वितीय से प्रतिवादी प्रेम पत्नी मोतीलाल धाकड़ को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 26.06.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां

बइजलास श्री विकास पंचोली (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

वादपत्र संख्या 60/2018

1. कौशल्या पत्नि बालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....वादी

बनाम्

1. प्रेमदेवी पत्नि मोतीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक 26.06.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान श्री दिनेश तम्बोली अधिवक्ता वादी उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा दाता उर्फ छोटा थड़ौदा आराजी संख्या 141/1 रकबा 3–15 बीघा, आराजी संख्या 1941/140 रकबा 0–17 बीघा कुल किता 2 रकबा 4–12 बीघा भूमि किस्म माल द्वितीय से प्रतिवादी प्रेम पत्नी मोतीलाल धाकड़ को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे।

नीज ....Nil.............................मुवलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 06 वर्ष 2019 को जारी किया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जि. भीलवाड़ा

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जि. भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner